

**ग्राम पंचायत शोली, विकास खण्ड ननखरी, जिला शिमला**  
**के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन**  
**अवधि 1/4/2013 से 31/3/2016**

**1 प्रस्तावना**

(क) 11वें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि. प्र., को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत शोली, विकास खण्ड ननखरी, जिला शिमला के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

**अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थे:-**

**प्रधान**

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1	श्री कमलेश काल्टा	23.01.2011 से 22.01.2016
2	श्रीमति कमला नेगी	23.01.2016 से लगातार

**सचिव**

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1	श्री राजीव कुमार	01.04.2013 से लगातार

(ख) **गम्भीर अनियमितता का सार:-** ग्राम पंचायत शोली के अवधि 1/4/2013 से 31/3/2016 के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्र० सं०	पैरा संख्या	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि लाखों में
1	6	पंचायत के खाता "ख" से अर्जित ब्याज की राशि को खाता "क" में अन्तरित न किया जाना	0.28
2	7	रोकड़ बही में लेखांकित प्राप्त आय के सम्बन्ध में रसीद इत्यादि जारी न किया जाना	16.58
3	10	पंचायत राजस्व की वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.65
4	11	दिनांक 31.03.2016 तक अनुदानों का उपयोग न किया जाना	12.36
5	12	निर्माण कार्यों के प्राक्कलन तैयार किए बिना ही व्यय किया जाना	6.55

6	13	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही स्टॉक स्टोर का क्रय करना	0.80
7	14	क्रय किए गए स्थाई एवं अस्थाई मदों की भंडारण रजिस्टर में प्रविष्टियां न करना	5.19
8	15	अस्थाई अग्रिमों का समायोजन देरी से किया जाना	0.15

## 2 वर्तमान अंकेक्षण :-

ग्राम पंचायत शोली , विकास खण्ड ननखरी , जिला शिमला के अवधि 1/4/2013 से 31/3/2016 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण , श्री अनिल शर्मा , अनुभाग अधिकारी एवं श्री रविन्द्र सिंह , अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 07.11.2016 से 15.11.2016 के दौरान ग्राम पंचायत शोली में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए निम्न मासों का चयन किया गया , जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

वर्ष	आय	व्यय
2013-14	09/2013	03/2014
2014-15	09/2014	07/2014
2015-16	03/2016	05/2015

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियंत्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु , स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र. उत्तरदायी नहीं होगा।

## 3 अंकेक्षण शुल्क

ग्राम पंचायत शोली , विकास खण्ड ननखरी , जिला शिमला के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹8000/- बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक , स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि. प्र. शिमला-171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 271/2016 दिनांक 15.11.2016 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत, शोली से अनुरोध किया गया।

## 4 वित्तीय स्थिति

सचिव ,ग्राम पंचायत शोली द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के अनुसार मनरेगा और Mid Himalayan Water Shed Development Project के अतिरिक्त प्राप्त अन्य अनुदानों और स्वः स्रोत की आय/व्यय को एक ही रोकड़ बही में लेखांकित किया गया है तथा साथ ही बैंक खातों में तदानुसार जमा करवाया गया है। इसके अतिरिक्त रोकड़ बही में लेखांकित आय

व्यय के सम्बन्ध में Ledger Accounts नहीं बनाए गए हैं। Ledger Accounts नहीं बनाए जाने के कारण प्राप्त अन्य अनुदानों और स्वः स्रोत की आय, व्यय को अलग-अलग नहीं किया जा सका। ग्राम पंचायत के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति का विस्तृत विवरण संलग्न “परिशिष्ट- 1” पर दिया गया है।

**5 रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करना तथा बैंक समाधान विवरणी तैयार न करना**

ग्राम पंचायत शोली की रोकड़ बही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जबकि हि. प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे ,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य था। अतः पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का बैंक खाते से मिलान न करना नियमों के विपरीत होने के कारण अनियमित है। अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुये पंचायत की रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

**6 पंचायत के खाता “ख” से अर्जित ब्याज ₹0.28 लाख को खाता “क” में अन्तरित न किया जाना**

हि. प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे ,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4(1) के अनुसार प्रतिवर्ष माह जनवरी तथा जुलाई में पंचायत द्वारा खाता “ख” में जमा राशि पर अर्जित ब्याज की राशि को पंचायत निधि के स्वः संसाधनों के खाता “क” में अन्तरित किया जाना अपेक्षित हैं। परन्तु अंकेक्षण में पंचायत के खातों की पड़ताल करने पर पाया गया कि अंकेक्षण अवधि के दौरान खाता “ख” में “परिशिष्ट- 2” के अनुसार जमा राशि पर अर्जित ब्याज ₹28485/- को खाता “क” में अन्तरित नहीं किया गया था। अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुये , खाता “ख” में जमा राशि पर अर्जित ब्याज की राशि को खाता “क” में अन्तरित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

**7. रोकड़ बही में लेखांकित प्राप्त आय ₹ 16.58 लाख के सम्बन्ध में रसीद इत्यादि जारी न किया जाना**

हि. प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे ,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 5 के अनुसार जब कभी भी पंचायत द्वारा किसी भी प्रकार की आय प्राप्त की जायेगी उस स्थिति में सचिव द्वारा फार्म-3 में उस प्राप्ति के प्रतिफल में रसीद जारी किया जाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि परिशिष्ट-3 में दिये गए विवरण अनुसार अवधि 04/2013 से 03/2016 के दौरान ₹1658192/- की प्राप्त आय के प्रतिफल में सचिव द्वारा कोई रसीद जारी नहीं की गई थी। अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुये प्राप्त आय के प्रतिफल में रसीद जारी किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

**8. बजट प्राक्कलन तैयार न करना**

हि. प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म-11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन केवल मात्र ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर (Minutes Book of Gram Panchyat) में तैयार किया गया था एवं पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में पंचायत का अनुमोदन लेकर ही इसे पारित करवाया गया था। इस प्रकार सचिव द्वारा निर्धारित फार्म -11 पर बजट प्राक्कलन तैयार/अनुमोदित न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किए जाए।

**9. निर्धारित सीमा से अधिक हस्तगत राशि का रखना**

पंचायत की रोकड़ बहियों के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट -4** में दिये गए विवरणानुसार हस्तगत राशि को निर्धारित सीमा से अधिक रखा गया था , जोकि हि. प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 10(3) के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमों के विपरीत हस्तगत राशि रखने का औचित्य स्पष्ट करते हुये भविष्य में नियमानुसार ही हस्तगत राशि का रखा जाना सुनिश्चित किया जाए।

**10. पंचायत राजस्व की ₹0.65 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना**

पंचायत की स्व स्रोतों से प्राप्त आय का संबन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट-5** में दिये गए विवरणानुसार दिनांक 31.03.2016 तक राजस्व ₹0.65 लाख वसूली हेतु लम्बित थी। अतः उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये बकाया राशि की वसूली करनी सुनिश्चित की जाए।

**11. अनुदान की ₹12.36 लाख का उपयोग न करना**

पंचायत द्वारा अनुदानों और स्वः स्रोतों के सम्बन्ध में उपलब्ध करवाई गई सूचना **परिशिष्ट-6** के अनुसार दिनांक 31.03.2016 तक कुल ₹1236133/- उपयोग हेतु शेष थे। अतः अनुदानों की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये अनुदानों के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से समय अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके

उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यापण संबन्धित संस्था को किया जाए।

**12. निर्माण कार्यों के प्राक्कलन तैयार किए बिना ही ₹6.55 लाख का अनियमित व्यय करना**

हि. प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 के अनुसार ₹50000 से अधिक के कार्यों का निष्पादन प्रशासनिक अनुमोदन व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना नहीं किया जा सकता था। निर्माण कार्यों से संबन्धित व्यय वाऊचरों की जाँच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा “परिशिष्ट-7” में दिये गए विवरणानुसार निर्माण कार्यों पर ₹655146/-का व्यय प्रशासनिक अनुमोदन व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना ही किया गया , जोकि नियमों के अनुकूल न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः निर्माण कार्यों पर किए गए व्यय को सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए अन्यथा किए गए व्यय की वसूली उचित स्रोत से करने के उपरांत अपेक्षित राशि पंचायत निधि में जमा करवाई जाए।

**13. औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹0.80 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना**

हि. प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे ,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएँ प्रावधित हैं। व्यय वाऊचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि “परिशिष्ट-8” में दिये गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹80500/- के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया , जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाये तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

**14. क्रय किए गए ₹5.20 लाख के स्थाई एवं अस्थायी मदों की भंडार रजिस्टर में प्रविष्टियाँ न करना**

हि. प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे ,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 72(1)(a,b,c एवं d) के अंतर्गत पंचायत द्वारा क्रय किए गए भण्डार की प्रविष्टि को उसकी स्थाई एवं अस्थायी प्रकृति के अनुरूप फार्म 25 ,26,27 एवं 28 में लेखांकन किया जाना अपेक्षित था। अंकेक्षण में विभिन्न क्रय की गई सामग्री की जाँच करने में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 4/2013 से 3/2016 के दौरान क्रय की गई ₹519757/- की

विभिन्न मदों, जिनका विवरण “परिशिष्ट-9” में दिया गया है, को क्रय करने के उपरांत प्रविष्टि को भण्डार रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया था, जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

**15. अस्थाई अग्रिमों ₹0.15 लाख का समायोजन देरी से किया जाना**

व्यय वाऊचरों की जाँच में पाया गया कि पंचायत के पदाधिकारियों को विभिन्न प्रयोजनों को कार्यान्वित करने हेतु हि. प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 30 के अनुसार अस्थाई अग्रिम की राशियों का भुगतान किया गया था। नियमानुसार प्रयोजन के पूर्ण होने के तुरंत बाद अग्रिमों का समायोजन किया जाना अपेक्षित था, जिनका विस्तृत विवरण “परिशिष्ट-10” में दिया गया है। इस प्रकार देरी से अस्थाई अग्रिमों का समायोजन किए जाने के कारण राशि के अस्थाई दुर्विनियोजन की संभावनाओं से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः अस्थाई अग्रिमों को समय पर समायोजित न करने के कारणों को स्पष्ट किया जाए।

**16. चौकीदार, सिलाई अध्यापिका एवं अन्यो को किए गए के भुगतान के संदर्भ में आवश्यक उपस्थिति रजिस्टर इत्यादि न बनाये जाने बारे।**

अवधि 04/2013 से 03/2016 के दौरान चौकीदार, सिलाई अध्यापिका एवं अन्यो को किए गए भुगतान की पड़ताल करने पर पाया कि इन सभी कर्मचारियों को मासिक आधार पर भुगतान किया गया था। परन्तु जिस अवधि के लिए भुगतान किया गया था उस अवधि का उपस्थिति रजिस्टर नहीं बनाया गया था। जिसके कारण इस सभी कर्मचारियों को किए गए भुगतान की पूर्ण जाँच नहीं की जा सकी। अतः इस सम्बन्ध में नियमानुसार उचित छानबीन की जाए और वस्तुस्थिति से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाए अन्यथा भुगतान की गई राशि की वसूली उचित माध्यम से की जानी सुनिश्चित की जाए।

**17. अनियमित व्यय**

**वाऊचर संख्या शून्य रोकड़ बही पृष्ठ संख्या 6=₹10000**

उपरोक्त व्यय वाऊचर के माध्यम से ₹10000/- का भुगतान सचिव, ग्राम स्वास्थ्य समिति शोली को “ Total Health Campaign” हेतु किया गया था। अंकेक्षण में उपलब्ध अभिलेखों की पड़ताल करने पर पाया गया कि इस भुगतान के बदले में उपरोक्त वर्णित समिति के प्रधान/सचिव से भुगतान प्राप्ति की कोई रसीद/पावती अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थी। इसके अतिरिक्त इस भुगतान के एवज में समिति से वर्तमान समय तक उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया था। भुगतान प्राप्ति की रसीद/पावती उपलब्ध न होने के कारण इस भुगतान की सत्यता की पूर्ण जाँच नहीं की जा सकी, साथ ही वर्तमान समय तक

उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं करने से यह संदेह प्रतीत होता है कि क्या वास्तव में इस राशि का उपयोग उसी उद्देश्य हेतु किया गया है जिसके लिए यह राशि प्राप्त की गई थी। अतः भुगतान के बदले भुगतान प्राप्ति की रसीद/पावती प्राप्त न करने एवं वर्तमान समय तक उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं करने को न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा इस राशि की वसूली संबन्धित समिति से की जानी सुनिश्चित की जाए।

#### 18. विहित रजिस्ट्रों का रख-रखाव न करना

हि. प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अंतर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्ट्रों/अभिलेखों का रख-रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्ट्रों/अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्ट्रों का रख-रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्रम संख्या	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	संदर्भित नियम
1	निवेश रजिस्टर	1	12
2	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
3	निर्माण कार्यों का रजिस्टर		103
4	मासिक बैंक समाधान विवरणी		15(1)
5	विभिन्न अनुदानों के खाते(Ladgers)	7	29(1)
6	वर्गीकृत सार (Classified Abstract)	8	29(4)
7	किराया माँग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
8	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
9	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
10	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 एवं 26	72(1) (a&b)
11	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95(1)

#### 19. प्रत्यक्ष सत्यापन

हि. प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत प्रधान द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

## 20. विविध अनियमितताएँ

### (क) रोकड़ बही का लेखांकन नियमानुसार न किया जाना

हि. प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4 के अंतर्गत ग्राम पंचायत की प्राप्त आय और अनुदानों हेतु बैंक में दो खातों में जमा करवाया जायेगा। यह खाते पंचायत खाता “क” और पंचायत खाता “ख” होंगे। पंचायत खाता “क” में ग्राम पंचायत के स्वः स्रोत आय जमा होगी जबकि पंचायत खाता “ख” में अनुदानों से संबन्धित आय जमा की जायेगी। सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि ग्राम पंचायत की आय-व्यय और अनुदानों के लेखांकन हेतु निम्न रोकड़ बहियों का निर्माण किया गया है, तथा साथ ही प्राप्त स्वः स्रोत आय और विभिन्न अनुदानों को विभिन्न बैंक खातों में तदानुसार ही जमा करवाया गया था, जबकि उपरोक्त नियम के अनुसार दो बैंक खाते खोले जाने थे और पंचायत खाता “क” और पंचायत खाता “ख” के अनुसार ही रोकड़ बही का लेखांकन किया जाना चाहिए था। अतः पंचायत खाता “क” और पंचायत खाता “ख” के अनुसार ही रोकड़ बही का लेखांकन न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

सामान्य रोकड़ बही	इस रोकड़ बही में स्वः स्रोत और विभिन्न GIA (Other than Water Shed Grant, एवं MANGERGA) का लेखांकन किया गया था।
Cash Book for MG NAREGA	इस रोकड़ बही में MG NAREGA से संबन्धित प्राप्ति एवं व्यय का लेखांकन किया गया था।
Cash Book for Integrated Water Shed Grant	इस रोकड़ बही में Integrated Water Shed Grant से संबन्धित प्राप्ति एवं व्यय का लेखांकन किया गया था।

उपरोक्त के अतिरिक्त ग्राम पंचायत शोली द्वारा हि.प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (1 से 3) के अनुसार वर्ष के अंत में रोकड़

बही में हस्तगत राशि के साथ संबन्धित बैंक खातों का कोई विवरण नहीं दिया गया था। अतः सभी रोकड़ बहियों का निर्माण उपरोक्त वर्णित नियम 7 के अनुसार न किए बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

#### **(ख) खाता बहियों (Ledgers) का निर्माण न किया जाना**

हि. प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29(1) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा अपनी समस्त आय व्यय का लेखांकन रोकड़ बही के साथ फार्म -7 पर खाता बहियों में किया जाना अनिवार्य था , परंतु सचिव ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि प्राप्त आय व्यय के लेखांकन हेतु विभिन्न खाता बहियों ( Ledgers) का निर्माण नहीं किया गया था। अतः नियम 29(1) के अनुसार खाता बहियों का निर्माण न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

**(ग)** हि. प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे ,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29(4) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा अपनी समस्त आय व्यय के वर्गीकरण हेतु फार्म -8 पर वर्गीकृत सार का निर्माण किया जाना अनिवार्य था , परंतु सचिव ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि प्राप्त आय व्यय के वर्गीकरण हेतु फार्म -8 पर वर्गीकृत सार का निर्माण नहीं किया गया था। वर्गीकृत सार का निर्माण न किए जाने के कारण अंकेक्षण अवधि के दौरान प्राप्त आय और किए गए व्यय को बजट प्रावधानों के साथ मिलान नहीं किया जा सका। अतः नियम 29(4) के अनुसार वर्गीकृत सार का निर्माण न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

**(घ)** ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों का निष्पादन करने हेतु हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93(ए)(1) के अंतर्गत प्रतिभागी समिति (Participatory Committee) बनाए जाने का प्रावधान है। सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि अवधि 4/2013 से 3/2016 के दौरान इस प्रकार की कोई समिति ग्राम पंचायत शोली द्वारा नहीं बनाई गई थी। अतः 93(ए)(1) के अंतर्गत प्रतिभागी समिति न बनाने के कारणों को स्पष्ट किया जाए तथा इस समिति का गठन यथाशीघ्र किया जाए।

(इ) ग्राम पंचायत की आय से संबन्धित विभिन्न अभिलेखों की प इताल करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत शोली द्वारा आय संग्रह के लिए जारी रसीदों की प्रविष्टि को स्टॉक रजिस्टर में लेखांकित नहीं किया गया था। इस प्रकार रसीद बुकों की स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि न किए जाने के कारण अंकेक्षण में इस तथ्य की पुष्टि नहीं की जा सकी कि अंकेक्षण अवधि के दौरान जारी की गई सभी रसीदों से प्राप्त आय को रोकड़ बही में लेखांकित किया गया था अथवा नहीं? अतः आय संग्रह हेतु जारी की गई रसीदों को स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि न किए जाने को न्यायोचित ठहराया जाए साथ ही रसीदों को जारी करते समय इसकी स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि की जानी सुनिश्चित की जाए।

21. लघु आपत्ति विवरणिका :- लघु आपत्ति विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई है , लघु आपत्तियों का निपटारा अंकेक्षण के दौरान कर लिया गया।

22. निष्कर्ष:- लेखों में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता / -  
(सतपाल सिंह)  
उप निदेशक,  
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,  
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009.

पृष्ठांकन संख्या:- फिन(एल0ए0)एच(पंच)XV(1) 44 / 2016-खण्ड-1-1168-1171 दिनांक:21.02.2017  
शिमला-171009,

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- पंजीकृत
- 1 सचिव, ग्राम पंचायत शोली, विकास खण्ड ननखरी, तहसील ननखरी, जिला शिमला, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
  - 2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला-171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
  - 3 जिला पंचायत अधिकारी, शिमला, जिला शिमला, हि0प्र0
  - 4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड ननखरी तहसील ननखरी, जिला शिमला, हि0प्र0

हस्ता / -  
(सतपाल सिंह)  
उप निदेशक,  
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,  
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009.

